भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4096**
दिनांक 17.03.2026 को उत्तरार्थ

## पंचायतों का विकास

4096. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या सरकार ने विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान पंचायतों के विकास को बढ़ाने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधि आवंटित की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ख) उक्त अवधि के दौरान आवंटित की गई निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है;

ग) क्या पंचायतों द्वारा हाशिए पर रहने वाले वर्गों सहित विभिन्न सामाजिक समूहों का विकास सुनिश्चित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट निधि आवंटित की गई हैं; और

घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

## उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ) पंचायत राज्य का विषय है और पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कामकाज की दिशा में योजनाओं के तहतनिधि सहायता सहित राज्य सरकारों के प्रयासों में निरंतर सहयोग करता है और उन्हें पूरा करता है।

पंचायती राज मंत्रालय में निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और उनके पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने और ग्राम पंचायत भवन और कंप्यूटरीकरण जैसी अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएसए योजना के तहत जारी की गई, उपयोग की गई और अप्रयुक्त शेष राशि का राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवारविवरण अनुलग्नक-I में है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि आरजीएसए के तहत कोई भी धनराशि किसी जिले को जारी नहीं की जाती है।

पंचायती राज मंत्रालय की योजना के अंतर्गत पंचायतों के हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए कोई विशिष्ट निधि का प्रावधान नहीं है। हालांकि, सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए आरजीएसए के अंतर्गत निधि जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए देश में उनकी जनसंख्या के अनुपात मेंनिधि निर्धारित की जाती है।

इसके अलावा, पंचायतों को विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) अनुदान प्राप्त होता है। वर्तमान में, पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर धनराशि प्राप्त हो रही है जिसके दो घटक हैं- टाइड और अनटाइड। टाइड अनुदान का उपयोग पेयजल, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाता है।अनटाइड अनुदानों का उपयोग भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के अंतर्गत महसूस की गयी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इनमें अन्य विषयों के साथ गरीबी उन्मूलन, महिला एवं बाल विकास, सामाज कल्याण, शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगजनों का कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) का कल्याण शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत टाइड और अनटाइड अनुदानों का राज्यवार आवंटन अनुलग्नक-II में है।सीएफसी के तहत जिलों के अनुसार धनराशि का आवंटन राज्यों द्वारा किया जाता है और इसलिए इसे मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

***

अनुलग्नक **-I**

**पंचायतों का विकास के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या4096 जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**आरजीएसए योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रोंद्वारा जारी और उपयोग की गई धनराशि और उनके पास शेष अप्रयुक्त राशि का विवरण**

**(रुपए करोड़ में)**

| क्र. स. | राज्य का नाम | जारी की गई धनराशि | उपयोग की गई धनराशि | अप्रयुक्त शेष राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2.52 | 86.61 | 15.65 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 250.78 | 300.36 | 0.18 |
| 3 | असम | 192.99 | 258.43 | 2.40 |
| 4 | बिहार | 58.37 | 197.36 | 1.25 |
| 5 | छत्तीसगढ | 34.07 | 85.89 | 1.60 |
| 6 | गोवा | 2.24 | 3.41 | 1.57 |
| 7 | गुजरात | 0 | 16.77 | 9.13 |
| 8 | हरियाणा | 5 | 20.12 | 8.36 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 107.17 | 149.73 | 6.14 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 170 | 214.25 | 16.96 |
| 11 | झारखंड | 31 | 70.86 | 12.12 |
| 12 | कर्नाटक | 72.25 | 114.22 | 6.52 |
| 13 | केरल | 50.4 | 92.82 | 1.92 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 100.17 | 316.15 | 3.25 |
| 15 | महाराष्ट्र | 233.96 | 458.08 | 5.16 |
| 16 | मणिपुर | 18.19 | 15.56 | 8.12 |
| 17 | मेघालय | 14 | 20.27 | 2.76 |
| 18 | मिजोरम | 36.27 | 60.75 | 2.73 |
| 19 | नागालैंड | 20 | 20.78 | 1.63 |
| 20 | ओडिशा | 58.73 | 129.2 | 8.84 |
| 21 | पंजाब | 49.25 | 89.86 | 9.79 |
| 22 | राजस्थान | 36.72 | 103.53 | 20.61 |
| 23 | सिक्किम | 19.01 | 20.07 | 3.13 |
| 24 | तमिलनाडु | 70.42 | 98.2 | 1.80 |
| 25 | तेलंगाना | 20 | 32.65 | 27.76 |
| 26 | त्रिपुरा | 27.23 | 34.96 | 0.48 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 207.95 | 436.12 | 47.97 |
| 28 | उत्तराखंड | 157.15 | 187.16 | 2.92 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 90.65 | 190.77 | 14.45 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 2.91 | 3.49 | 1.12 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 3.14 | 5.12 | 0.76 |
| 32 | लद्दाख | 1 | 2.9 | 0.42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| कुल योग | 2143.54 | 3836.45 | 247.50 |
| एजेंसियां | 48.47 | 0 | 0 |
| **कुल** | **2192.01** | **3836.45** | **247.50** |

* केवल केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी की गयी राशि
# निधि के उपयोग में पिछले वर्षों/योजना की अप्रयुक्त शेष राशि, एसएनए मॉड्यूल के कार्यान्वयन के बाद कार्यान्वयन एजेंसियों से वापस प्राप्त धनराशि और योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राज्य की समान हिस्सेदारी शामिल है।
$अप्रयुक्त शेष राशि में राज्य के हिस्से के बराबर और एकल नोडल खाते में अर्जित ब्याज शामिल है।

**अनुलग्नक-II**

**"पंचायतों का विकास" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4096 जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**
**वर्ष 2022-23 से वर्ष2024-25के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का घटक-वार और राज्य-वार आवंटन**

| क्र र. स. | राज्य | 2022-23 | | | 2023-24 | | | 2024-25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनटाइड | टाइड | कुल आवंटन | अनटाइड | टाइड | कुल आवंटन | अनटाइड | टाइड | कुल आवंटन |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 804.00 | 1206.00 | 2010.00 | 812.40 | 1218.60 | 2031.00 | 860.80 | 1291.20 | 2152.00 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 70.80 | 106.20 | 177.00 | 71.60 | 107.40 | 179.00 | 75.60 | 113.40 | 189.00 |
| 3 | असम | 491.20 | 736.80 | 1228.00 | 496.40 | 744.60 | 1241.00 | 526.00 | 789.00 | 1315.00 |
| 4 | बिहार | 1536.80 | 2305.20 | 3842.00 | 1553.60 | 2330.40 | 3884.00 | 1645.60 | 2468.40 | 4114.00 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 445.60 | 668.40 | 1114.00 | 450.00 | 675.00 | 1125.00 | 476.80 | 715.20 | 1192.00 |
| 6 | गोवा | 22.80 | 34.20 | 57.00 | 23.20 | 34.80 | 58.00 | 24.80 | 37.20 | 62.00 |
| 7 | गुजरात | 978.40 | 1467.60 | 2446.00 | 989.20 | 1483.80 | 2473.00 | 1047.60 | 1571.40 | 2619.00 |
| 8 | हरियाणा | 387.20 | 580.80 | 968.00 | 391.60 | 587.40 | 979.00 | 414.40 | 621.60 | 1036.00 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 131.60 | 197.40 | 329.00 | 132.80 | 199.20 | 332.00 | 140.80 | 211.20 | 352.00 |
| 10 | झारखंड | 517.20 | 775.80 | 1293.00 | 522.80 | 784.20 | 1307.00 | 554.00 | 831.00 | 1385.00 |
| 11 | कर्नाटक | 985.20 | 1477.80 | 2463.00 | 996.00 | 1494.00 | 2490.00 | 1054.80 | 1582.20 | 2637.00 |
| 12 | केरल | 498.40 | 747.60 | 1246.00 | 504.00 | 756.00 | 1260.00 | 533.60 | 800.40 | 1334.00 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 1220.00 | 1830.00 | 3050.00 | 1233.20 | 1849.80 | 3083.00 | 1306.00 | 1959.00 | 3265.00 |
| 14 | महाराष्ट्र | 1784.40 | 2676.60 | 4461.00 | 1804.00 | 2706.00 | 4510.00 | 1910.40 | 2865.60 | 4776.00 |
| 15 | मणिपुर | 54.00 | 81.00 | 135.00 | 54.80 | 82.20 | 137.00 | 58.00 | 87.00 | 145.00 |
| 16 | मेघालय | 56.00 | 84.00 | 140.00 | 56.40 | 84.60 | 141.00 | 59.60 | 89.40 | 149.00 |
| 17 | मिजोरम | 28.40 | 42.60 | 71.00 | 28.80 | 43.20 | 72.00 | 30.40 | 45.60 | 76.00 |
| 18 | नागालैंड | 38.40 | 57.60 | 96.00 | 38.80 | 58.20 | 97.00 | 40.80 | 61.20 | 102.00 |
| 19 | ओडिशा | 691.20 | 1036.80 | 1728.00 | 698.80 | 1048.20 | 1747.00 | 740.40 | 1110.60 | 1851.00 |
| 20 | पंजाब | 424.80 | 637.20 | 1062.00 | 429.60 | 644.40 | 1074.00 | 455.20 | 682.80 | 1138.00 |
| 21 | राजस्थान | 1182.80 | 1774.20 | 2957.00 | 1195.60 | 1793.40 | 2989.00 | 1266.40 | 1899.60 | 3166.00 |
| 22 | सिक्किम | 13.20 | 19.80 | 33.00 | 13.20 | 19.80 | 33.00 | 14.00 | 21.00 | 35.00 |
| 23 | तमिलनाडु | 1104.40 | 1656.60 | 2761.00 | 1116.40 | 1674.60 | 2791.00 | 1182.80 | 1774.20 | 2957.00 |
| 24 | तेलंगाना | 566.00 | 849.00 | 1415.00 | 572.00 | 858.00 | 1430.00 | 605.60 | 908.40 | 1514.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | त्रिपुरा | 58.80 | 88.20 | 147.00 | 59.20 | 88.80 | 148.00 | 62.80 | 94.20 | 157.00 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 2986.40 | 4479.60 | 7466.00 | 3018.80 | 4528.20 | 7547.00 | 3197.60 | 4796.40 | 7994.00 |
| 27 | उत्तराखंड | 176.00 | 264.00 | 440.00 | 178.00 | 267.00 | 445.00 | 188.40 | 282.60 | 471.00 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 1351.20 | 2026.80 | 3378.00 | 1366.00 | 2049.00 | 3415.00 | 1446.80 | 2170.20 | 3617.00 |

***